17/2/26

प्रार्थी श्री कु. उषा चूंडि द्वारा वादी Non-Compliance में खारिज किया गया है अतः प्रा. पत्र 212 RTA का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। प्रा. पत्र 212 आरटीए भी स्तर पर खारिज किया जाता है।

प्रार्थी केवल शुमार हो, अंतर पर एक हक दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर